रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-854/2026/482/22-2-2026-17(339)/2020

लखनऊ: दिनांक: 30 जून, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, देवरिया में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र प्रताप राव (बन्दी संख्या-28/2025) पुत्र श्री बलवन्त, निवासी- मड़ार बिन्दवलिया, थाना-नेबुआ नौरंगिया, जनपद-कुशीनगर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-43/1979, में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 324/149, 302/149 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, देवरिया के दण्डादेश दिनांक 29.01.1998 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 05.04.2019 एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक-14.10.2019 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.09.2025 तक अपरिहार 02 वर्ष, 09 माह, 29 दिन तथा सपरिहार 03 वर्ष, 00 माह, 26 दिन की सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-854/2026/482(1)/22-2-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर।
3- पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, देवरिया।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।